भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2912

उत्तर देने की तारीख 13 अगस्त, 2026 (गुरूवार)

22 श्रावण, 1948 (शक)

प्रश्न

उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की योजनाओं के अंतर्गत आवंटनों का उपयोग

2912 **श्रीमती रेखा शर्माः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की योजनाओं के अंतर्गत आवंटित बजटीय आवंटनों के उपयोग की समीक्षा तथा उसमें सुधार के लिए कोई तंत्र विद्मान है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवंटित निधियों का समयबद्ध एवं इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत कम उपयोग की गई आवंटित निधियों की समय-समय पर वित्तीय समीक्षा तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कोई संस्थागत ढांचा विद्यमान है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग)**:** उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, जिनमें उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाएं भी शामिल हैं, का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार/एजेंसियों के अधिकार-क्षेत्र में आता है। एनईसी की स्कीमों सहित मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी की गई निधि के उपयोग और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के पास एक मज़बूत तंत्र भी है, जिसमें पूर्वोत्तर विकास सेतु (पीवीएस) पोर्टल पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना और उन पर कार्रवाई करना तथा एनईसी और मंत्रालय के स्तर पर राज्यों/एजेंसियों के साथ अनुवर्ती बैठकें करना शामिल है।

वास्तविक और वित्तीय प्रगति के मानदंडों को पूरा करने पर चार किस्तों में प्रति किस्त 25% निधि जारी की जाती हैं।

परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर नज़र रखने के लिए एनईसी, मंत्रालय की फील्ड तकनीकी सहायता इकाइयों (एफटीएसयू), परियोजना गुणवत्ता मॉनिटर (पीक्यूएम) और तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (टीपीटीआई) द्वारा निरीक्षण किया जाता हैताकि आवंटित निधि का उपयोग वास्तविक प्रगति के अनुरूप समय पर होना सुनिश्चित हो सके। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त मांग अनुरोधों, उपयोग प्रमाण-पत्र और प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ जियो-टैग की गई फोटो और पीवीएस पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निधि जारी की जाती हैं।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए, परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं, जिनमें प्रत्येक सप्ताह मंत्री स्तर की बैठकें भी शामिल हैं। इन बैठकों में साप्ताहिक रूप से अद्यतित, जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरों के साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का ग्राफिकल विश्लेषण किया जाता है; साथ ही, वास्तविक और वित्तीय प्रगति में हुई बढ़ोतरी पर विचार किया जाता है और राज्य सरकारों/एजेंसियों को सतर्क किया जाता है।
